संख्या-19/2016/एस-3-194(2)/दस-2016-ब(8)/2015

प्रेषक,

राज रतन,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषय:-अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 के बजट को विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 के क्रम में मुझे यह का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-63 के "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-095-लेखा तथा खजाना निदेशालय-03-कोषागार निदेशालय" के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय हेतु संलग्नक-1 के अनुसार मदवार प्राविधानित कुल धनराशि रू0 24,42,85,000/-(चौबीस करोड़ बयालीस लाख पच्चासी हजार मात्र) व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- संलग्नक-3 मे उल्लिखित मदवार धनराशियों का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 की अवधि में जो व्यय किया जाये वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा ।

3- इस संबंध में यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आवंटित धनराशि का व्यय उक्त कार्यालय-संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों/निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जिन मदों पर शासन की स्वीकृति अपेक्षित है, उन मदों पर धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति शासन से प्राप्त कर ली जाये।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-095-लेखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा खजाना निदेशालय-03-कोषागार निदेशालय" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा तत्संबंधी उ0प्र0 वित्तियोग अधिनियम, 2016 द्वारा प्राधिकृत निधि से वहन किया जायेगा ।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(राज रतन)
उपसचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद,
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या 19/2016/ एस-3-194(2)/दस-2016-ब(8)/2015

दिनांक 11 अप्रैल,2016 का संलग्नक-2

कोषागार निदेशालय तथा समस्त अपर मण्डलीय कोषागार एवं पेंशन कार्यालय

अनुदान संख्या-63

लेखाशीर्षक - आयोजनेत्तर

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन धनराशि हजार रूपये में

097-लेखा तथा खजाना निदेशालय

03- कोषागार निदेशालय

क्रमांक	मानक मद	2016-17 में प्राविधानित धनराशि
1	01- वेतन	80000
2	02-मजदूरी	300
3	03-महगाई भत्ता	108800
4	04-यात्रा व्यय	2000
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	500
6	06-अन्य भत्ते	10500
7	07-मानदेय	60
8	08-कार्यालय व्यय	6000
9	09-विद्युत देय	2500
10	10-जल कर/जल प्रभार	300
11	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	2000
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1500
13	13-टेलीफोन पर व्यय	1600
14	14-मोटर गाडियों का क्रय	675
15	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	5000
16	16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	10000
17	17-किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	1200
18	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयत्र	2000
19	29-अनुरक्षण	2000
20	42-अन्य व्यय	200
21	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500
22	45-अवकाश यात्रा व्यय	300
23	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500
24	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4000
25	49-चिकित्सा व्यय	1800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	51-वर्दी व्यय	50
	योग	244285

(रूपया चौबीस करोड़ बयालीस लाख पच्चासी हजार मात्र)

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।